पत्रांक-बजट-37-मु0व्य0दु0बी0यो0/ / (बाधित अवधि)/ 807 /वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उ0प्र0
(बजट अनुभाग)
लखनऊ // दिनॉक // 13-9- 2019

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0),
वाणिज्यकर,उत्तर प्रदेश।

विषय :- पंजीकृत व्यापारियो के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना बाधित अवधि (दि0 15-06-2018 से वर्तमान तक) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने विषयक।

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन ने अपने शासनादेश संख्या-क0नि0-2-2245(ii)/ग्यारह-2000-9(13)/2000 दिनांक 04-08-2000 के द्वारा विभाग में पंजीकृत व्यापारियों हेतु मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की थी। वर्तमान में उक्त योजना (दिनांक 15-06-2018 से वर्तमान तक) लागू है। उक्त योजना के अन्तर्गत वे सभी व्यापारी आच्छादित होते है, जो मृत्यु/हत्या/ अंशिक विकलांगता/ पूर्ण विकलांगता के दिनांक तक वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है। शासन ने अपने पत्र संख्या-क0नि0-4-1351/11-2017-400(94)/2000 दिनांक 27-10-17 के द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत बीमित धनराशि रु0-5.00 लाख से बढ़ाकर रु0-10.00 लाख किये जाने का निर्णय लिया था तथा शासन ने अपने पत्र संख्या-**क0नि0-4-1312/11-2017/ 400(94)/2000टी0सी0 दिनांक 28-12-18 द्वारा** उक्त योजना का संचालन अग्रिम आदेशों तक विभाग द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया है। उक्त योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु अथवा हत्या अथवा पूर्ण / आंशिक विकलांगता होने की दशा में इस कार्यालय के **परिपत्र संख्या–1327 दिनांक 30.01.2019 एवं परिपत्र संख्या–1589 दिनांक 14.03.2019** के कम में कार्यवाही करते हुए **आपके स्तर से प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित किये जाते है,** जिसपर शासन से प्राप्त स्वीकृति के कम में बीमित धनराशि रू0 10,00,000/– (रूपया दस लाख) मात्र अथवा दुर्घटना में आंशिक विकलांगता होने की दशा में सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण में दिये गये विकलांगता प्रतिशत को आधार मानते हुए, विकलांगता के प्रतिशत के अनुपात में देय बीमा धनराशि व्यापारी/जीवित विधिक विवाहिता पत्नी/पति को भुगतान की जायेगी । पति / पत्नी दोनो के जीवित न रहने की दशा में सक्षम न्यायालय द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर सम्बन्धित को भुगतान किया जायेगा । यदि पंजीकृत व्यापारी अविवाहित है, तो प्रथमतः पिता को, पिता के जीवित न होने की दशा में माता को और पिता / माता दोनों के जीवित न होने की दशा में सक्षम न्यायालय द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तराधिकारी/लाभार्थी को सम्बन्धित बीमित धनराशि का भुगतान किया जाता है ।

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–1433 दिनांक 14.02.19 एवं दिनांक 1569 दिनांक 11.03.2019 के द्वारा प्रकरणों को मुख्यालय प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु आपके स्तर से अभी तक बहुत ही कम प्रकरण संस्तुति सहित मुख्यालय प्रेषित किये गये है, जो किसी भी दशा में उचित नही है ।

उक्त के अतिरिक्त श्री मनीश कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष, उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 20-08-2019 के द्वारा अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना

बीमा योजना से सम्बन्धित कोई भी सूचना व्यापार बंधु, उद्योग बंधु बैठकों में प्रदान नही की जाती है तथा सभी जन कल्याणी सूचनाओं से अवगत कराये जाने का अनुरोध किया है।

अत: आपसे आपेक्षा की जाती है कि कृपया उल्लिखित अवधि से सम्बन्धित प्राप्त बीमा दावों का परीक्षण कर परिपत्र दिनांक 30-01-19 एवं दिनांक 14-03-19 के क्रम में कार्यवाही करते हुए प्रकरण यथाशीघ्र मुख्यालय प्रेषित करना तथा **जनकल्याणी सूचनाओं का प्रचार प्रसार (यथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, व्यापार बंधु, उद्योग बंधु बैठकों में योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना) अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करें,** ताकि योजना का लाभ शासन की मंशानुसार समस्त व्यापारियों को प्रदान किया जा सके।

(शैलेश गिरि)
एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनॉक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उप सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।
2- एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर, मुख्यालय को सूचनार्थ।
3- समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आप अपने स्तर से भी सम्बन्धित को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु।
5- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी प्रथम, कमिश्नर कैम्प, मुख्यालय को कमिश्नर, महोदया के अवलोकनार्थ।
6- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

एडीशनल कमिश्नर (लेखा) वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।